न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–272/18 (आरसीएमएस नं. 2018/000175)

1. कैलाश पुत्र हजारी लाल जाति धोबी, निवासी जे–10 टी कैम्प खिचड़ीपुर ईस्ट दिल्ली–91, बहैसियत मुख्त्यारआम भोलाराम सैनी पुत्र श्री टेकाराम सैनी, जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 1 कस्बा विराटनगर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, तहसील कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 02.09.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.06.2018 (प्रकरण संख्या 11/2018) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि ग्राम पापड़ी पटवार हल्का सोठाना तहसील बिरानगर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 27 आराजी खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.69 हैक्टयर भूमि स्थित है, अपीलान्ट ने उक्त अपनी आराजी को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1983 को खातेदार काना पुत्र भूरा जाति माली निवासी गोल विराटनगर से खरीद की थी तथा खरीद के समय से ही आज तक बिना रोट–टोक निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है, अपीलान्ट ने विक्रय पत्र में क्रेता का नाम यानि अपना स्वयं का नाम कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर अंकित करवाया था जिसमें भी कैलाश पुत्र हजारी लाल धोबी निवासी विराटनगर के नाम अंकित कर खाता खोला गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट पिछले कुछ वर्षो से कारोबार करने के लिहाज से परिवार सहित दिल्ली में निवास करने लग गया तथा अपनी उक्त खातेदारी भूमि को काश्त करने सार संभाल आदि करने के लिये अपने विश्वसनीय व्यक्ति भोलाराम सैनी पुत्र टेकाराम सैनी को बाटे पर बता दिया तब से लेकर आज तक भोलाराम ही वर्णित आराजीयात को बोआ–जोती काश्त कर रहा है जिसमें अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट एक दो महिनों पूर्व अपने गांव आया और किसी काम से अपनी वर्णित भूमि की जमाबन्दी हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलान्ट ने देखा कि हाल जमाबन्दी रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम केवल कैलाश पुत्र हजारी लाल निवासी विराटनगर ही अंकित था, तब अपीलान्ट द्वारा पटवारी से पूछा कि इसमे मेरी जाति अंकित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कैसे नही है, तो पटवारी ने बताया कि हाल रिकार्ड में यही स्थिति है पिछले रिकार्ड में शायद जाति अंकित नही होगी इसे आप न्यायालय आदेश द्वारा ही सही करवा सकते है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की तलबी नोटिस जारी किये एवं दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प विराटनगर में बहस अपीलान्ट की सुनकर तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के विपरित जो अपीलधीन निर्णय पारित किया वह गलत है एवं निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध जो विधिक त्रुटिया की जायेगी उनको दुरूस्त करने का एवं उस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लैण्ड रेवेन्यू ऑफिसर यानि उपखण्ड अधिकारी को धारा 136 भू राजस्व अधिनिमय में तहत प्रदान किये गये है किन्तु इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट निवेदन किया था कि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.69 हैक्टयर को क्रय करने के पश्चात् सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी विराटरनगर की मिसल संख्या 611/84 बउनवानी कैलाश पुत्र हजारी लाल धोबी में भी तत्कालीन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी विराटनगर ने कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी की उक्त भूमि क्रयशुदा मानी और तदानुसार ही राजस्व अभिलेख में इसका अंकन होना आवश्यक था लेकिन चौसाला जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश अपीलान्ट की जाति लिखना सहवन से भूल गये इस तथ्य की ताईद हेतु अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी विराटनगर के समक्ष जैरकार पत्रावली की नकल विक्रय पत्र की नकल, प्रार्थी का जाति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामर दिनांक 13.11. 2017, पहचान पत्र वगैरहा प्रस्तुत किये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजो पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2018 पारित किया गया जो विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीललान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम के आगे उसकी जाति धोबी अंकित करते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदश प्रदान करें।

माननीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 14.12.83 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त

P.T.O.

वादग्रस्त आराजी कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल धोबी द्वारा क्रय की गई है, आयुक्त कार्यालय दिल्ली प्रशासन दिल्ली के जाति प्रमाण पत्र संख्या 105150/एसएच/88/2231 दिनांक 06.05.88 में कैलाश चन्द पुत्र हजारी लाल की जाति धोबी अंकित है और इसी प्रकार सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी विराटनगर की मिसल संख्या 611/84 में के निर्णय दिनांक 18.10.84 द्वारा आराजी क्रेता कैलाशचन्द पुत्र हजारी लाल धोबी के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये गये है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की आराजी के राजस्व रिकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी विराटनगर के आदेश दिनांक 18.10.84 के अनुसार दुरूस्त कराने की विधि सम्मत कार्यवाही करायी जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।